

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 24, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती राधा कैथवास पुत्री श्री सीताराम कैथवास पत्नी श्री जयकुमार बौरासी, निवासी-मकान नंबर-15/1, सूरज नगर, बंगाली चौराहे के पास इन्दौर (म.प्र.) की हूँ, मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में ऋषभ बौरासी (कैथवास) पिता जयकुमार बौरासी की सभी शैक्षणिक रिकार्ड, आधार कार्ड में अंकित है तथा भविष्य में मेरे पुत्र को ऋषभ कैथवास के नाम से जाना पहचाना लिखा एवं संबोधित किया जाए।

भवदीय

राधा कैथवास (संरक्षक)

पति-जय कुमार बौरासी.

(G-2349)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अर्थ प्रताप सिंह तोमर पुत्र श्री धर्मेन्द्र सिंह तोमर एवं मेरी माँ का नाम प्रीती सिंह है, मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी माँ का नाम प्रीती सिंह तोमर अंकित है, जबकि मेरी माँ का सही नाम प्रीती सिंह ही जाना जाये जो कि मेरी माँ के सभी दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः मेरी माँ का नाम प्रीती सिंह तोमर के स्थान पर प्रीती सिंह (PREETI SINGH) ही रहेगा. एवं मेरे सभी दस्तावेजों में मेरी माँ का सही नाम प्रीती सिंह जाना-पहचाना व पढ़ा जायें.

भवदीय

अर्थ प्रताप सिंह तोमर,

(G-2350)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मेसर्स श्री वासुदेव इण्डस्ट्रीज, पंजीयन क्रमांक 03/47/02/00064/13, दिनांक 01-06-2013 साझेदारी फर्म के पंजीकृत कार्यालय एवं पते में स्थानान्तरण हुआ है। कार्यालय का पूर्व पता खसरा नं. 109, ग्राम मोहम्मदपुरा, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश 450331 है, तथा वर्तमान में पंजीकृत कार्यालय व ऑफिस का पता खसरा नं. 221/2, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश 450331, दिनांक 07-11-2023 से प्रभावशील है, जो कि सभी भागीदारों की सहमती से संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 07-11-2023 को निष्पाशित किया गया है। इसके साथ ही सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री वासुदेव इण्डस्ट्रीज की साझेदारी में वर्तमान में 1. श्री मोहित अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल, 2. श्री राजीव तिरपुडे पिता श्री ताराचंदजी तिरपुडे तथा 3. श्री वासुदेव अग्रवाल पिता श्री संजय कुमार अग्रवाल फर्म के वर्तमान भागीदार यथावत है, सर्वजन व आमजन सूचित हो।

वास्ते-श्री वासुदेव इण्डस्ट्रीज,
(मोहित अग्रवाल)
(पार्टनर)

खसरा नं. 221/2, बहादरपुर रोड,
बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-2351)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती गुम्फा बन्सोड (Smt. Gumpha Bansod) एवं श्रीमती रेखा बन्सोड (Smt. Rekha Bansod) पत्नी श्री लक्ष्मण बन्सोड (Mr. Laxman Bansod), निवासी बीएम-196, नेहरू नगर, भोपाल। सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में श्रीमती गुम्फा बन्सोड एवं श्रीमती रेखा बन्सोड अंकित है और दोनों नामों से जाना व पहचाना एवं पुकारा जाता है, ये दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में सिर्फ मैं, श्रीमती गुम्फा बन्सोड के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी व हस्ताक्षर करती रहूंगी। अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम श्रीमती गुम्फा बन्सोड पत्नी श्री लक्ष्मण बन्सोड लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(गुम्फा बन्सोड/रेखा बन्सोड)

नया नाम

(गुम्फा बन्सोड)

(G-2352)

आम सूचना

मेसर्स बारी ऑटो सप्लाय कम्पनी, ए. बी. रोड मुरैना, जिला मुरैना पंजीयन क्र. 1696/1986, दि. 10-12-1986 में, संशोधित डीड दि 18-09-2023 अनुसार भागीदार क्रमांक (1) श्री सियाराम पुत्र द्वारिका प्रसाद, जीवाजीगंज मुरैना फर्म से स्वेच्छा से हट रहे हैं एवं इसी दिनांक 18-09-2023 को नए भागीदार के रूप में भागीदार, (3) श्री अरुण गर्ग पुत्र श्री सियाराम, निवासी हरिराज टाकीज के पास, एम. एस. रोड, मुरैना शामिल हो रहे हैं। अतः आज दिनांक से पार्टनर (1) श्री नरेश गर्ग पुत्र श्री कैलाश चन्द्र, एवं (2) श्री अरुण गर्ग पुत्र श्री सियाराम द्वारा फर्म का संचालन किया जायेगा। अतः कुल दो भागीदार रहेगें।

M/s Bari Auto Supply Company,

(NARESH GARG)

(Partner)

A. B. Road, Morena.

(G-2353)

आम सूचना

मे. ग्लोबल माइन्स एंड मिनरल्स (साझेदारी फर्म) के साझेदारों में बदलाव के मामले में यह सूचित किया जाता है कि 16-04-2010 से मेसर्स ग्लोबल माइन्स एंड मिनरल्स की पूर्व भागीदार श्रीमती राजकुमारी जैन फर्म से सेवानिवृत्त हो गई थीं और श्रीमती लता नायक को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया था. साझेदारों में परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए निरंतर साझेदार, सेवानिवृत्त साझेदार और नवीन साझेदार के बीच एक औपचारिक नवीन भागीदारी अनुबंध निष्पादित किया गया था.

तर्फ—ग्लोबल माइन्स एंड मिनरल्स,
(SANGEETA NAYAK)
(अधिकृत पार्टनर)

(G-2354)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के तहत)

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 63(1) के अधीन इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि साझेदारी फर्म का नाम मेसर्स जी. आर. एग्रो. इंडस्ट्रीज, 2 महारानी रोड, त्रिवेणी चेंबर्स, इन्दौर (म.प्र.) की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है. दिनांक 30 मार्च, 2021 से राजकुमार चुघ पिता स्व. विशनदास चुघ अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म (मेसर्स जी. आर. एग्रो. इंडस्ट्रीज) से प्रथक् हो गए हैं.

मेसर्स जी. आर. एग्रो. इंडस्ट्रीज,
(हितेश चुघ, जयादेवी चुघ)
(पार्टनर)

(G-2355)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया चमेली देवी बरमेचा पति श्री ज्ञानमलजी, निवासी-2, नजरबाग, बैंक कॉलोनी, रतलाम म.प्र. प्रार्थीया को चमेलीबाई एवं चमेली देवी बरमेचा दोनों नामों से जाना-पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं एवं भविष्य में प्रार्थीया को चमेली देवी बरमेचा के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम
(चमेलीबाई/चमेली देवी बरमेचा)

नया नाम
(चमेली देवी बरमेचा)

(G-2356)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी उमरदीन पिता रमजू, निवासी-70-बी, वेदव्यास कॉलोनी, रतलाम (म.प्र.) प्रार्थी का नाम अंकसूची में राजू पिता रमजू अंकित है एवं आधार कार्ड में उमरदीन पिता रमजू जी अंकित है, प्रार्थी को दोनों ही नामों से जाना-पहचाना जाता है. प्रार्थी को भविष्य में उमरदीन पिता रमजू के नाम से ही जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम
(राजू/उमरदीन)
पिता—रमजू/रमजू जी.

नया नाम
(उमरदीन)
पिता—रमजू

(G-2357)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री Aashi Goswami की शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम Ram Krishna Goswami लिखा गया है. जबकि मेरा नाम Ramkrishna Goswami (रामकृष्ण गोस्वामी) है. इसी नाम से जाना-पहचाना जाय.

रामकृष्ण गोस्वामी,
निवासी-बृज धाम कॉलोनी,
ईशान 75, हरदा (म.प्र.).

(G-2358)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार पिता स्व. श्री रामगोपाल, निवासी 134, सागर एवेन्यु, अयोध्या बायपास, भोपाल ने शासकीय एवं अन्य सभी कार्यों के लिये अपना नाम परिवर्तित कर संतोष कुमार गोरानी कर लिया है. भविष्य में मुझे संतोष कुमार गोरानी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(संतोष कुमार)

नया नाम
(संतोष कुमार गोरानी)

(G-2359)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स संकल्प वेयर हाउसिंग एवं खरीदी केन्द्र-पता सर्वे क्रं. 232, 243, 245, ग्राम बद्रखा बाबाजी, तहसील घटिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/0190/21, सन् 2020-2021, दिनांक 24-03-2021 जिसका दिनांक 11-10-2023 तक निम्नलिखित भागीदार संचालन कर रहे थे.

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. श्रीमती जानी बाई, | 2. श्रीमती आशा बाई आंजना, | 3. श्रीमती इन्दर बाई, |
| 4. श्रीमती सपना शर्मा, | 5. श्रीमती रश्मि डांगी, | 6. श्रीमती अनुपमा चौधरी, |
| 7. श्रीमती नीलिमा जैन, | 8. श्रीमती रश्मि जैन, | 9. श्रीमती निशा मालवीय |

दिनांक 12-10-2023 से भागीदार क्र. 1, 2, 3, 4, 6 व 9 फर्म से प्रथक हो गए हैं एवं उनके स्थान पर 2 नए भागीदार श्रीमती रंजना आशीर्वाल और श्रीमती पूनम आशीर्वाल सम्मिलित किये गए हैं. इस प्रकार दि. 12-10-2023 से फर्म का संचालन निम्नलिखित भागीदार कर रहे हैं.

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. श्रीमती रश्मि डांगी, | 2. श्रीमती नीलिमा जैन, | 3. श्रीमती रश्मि जैन, |
| 4. श्रीमती रंजना आशीर्वाल, | 5. श्रीमती पूनम आशीर्वाल | |

भागीदार फर्म मेसर्स संकल्प वेयर हाउसिंग एवं खरीदी केंद्र में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो.

वास्ते-संकल्प वेयर हाउसिंग एवं खरीदी केंद्र,
(रश्मि जैन)
(भागीदार)

पता-सर्वे क्र. 232, 243, 245,

ग्राम बद्रखा बाबाजी,

तहसील घटिया, जिला उज्जैन (म.प्र.).

(G-2360)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी महेन्द्र सिंह भाटी पिता श्री रामसिंह भाटी, पता-64, कस्तुरबानगर, रतलाम, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ, प्रार्थी के पुत्र अनुज भाटी के शैक्षणिक रिकार्ड में अनुज भाटी पिता का नाम महेन्द्र व माता का नाम कमला अंकित है, सरनेम अंकित नहीं है। प्रार्थी के पुत्र की अंकसूची में पिता का नाम MAHENDRA SINGH BHATI एवं माता का नाम KAMLA BHATI सरनेम सहित लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

भवदीय

महेन्द्र सिंह भाटी,
पिता-श्री रामसिंह भाटी.

(G-2361)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मेरा नाम श्रीमती रीना कंवर (Reena Kanwar) पति रजनीश कंवर (Rajneesh Kanwar), निवासी- 11, रविन्द्र नगर, बैंक ऑफ इंडिया, सेठी नगर ब्रांच के पास, उज्जैन (म.प्र.) है एवं मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रीना जैन (Reena Jain) पति श्री रजनीश कंवर (Rajneesh Kanwar) लिखा है और जैन हमारी जाति है। उपरोक्त दोनों नाम अलग-अलग महिला के ना होकर एक ही महिला के नाम हैं। प्रकाशन उपरांत नये नाम रीना कंवर के नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम
(रीना जैन)

नया नाम
(रीना कंवर)

(G-2362)

नाम परिवर्तन

मैं घनश्याम प्रसाद सेन आत्मज श्री बैजनाथ सेन सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैं मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड संभाग नागोद मेरी सेवा पुस्तिका में त्रुटिवश मेरा नाम घनश्याम सेन दर्ज हो गया था। मेरे आधारकार्ड, पैनकार्ड, सैलरी स्लिप एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम घनश्याम प्रसाद सेन आत्मज श्री बैजनाथ सेन दर्ज है। ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम घनश्याम प्रसाद सेन आत्मज श्री बैजनाथ सेन से जाना-पहचाना जाये एवं मेरी सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये।

पुराना नाम
(घनश्याम सेन)

नया नाम
(घनश्याम प्रसाद सेन)
निवासी-आदित्य पब्लिक स्कूल के पीछे,
रामटेकरी, रघुराज नगर, कृपालपुर,
हरिजन टोला, जिला सतना (म.प्र.).

(G-2363)

नाम परिवर्तन

अशोक बरमेचा पिता श्री ज्ञानमल जी, निवासी नज़रबाग, रतलाम मध्यप्रदेश. प्रार्थी को अशोक कुमार जैन एवं अशोक बरमेचा दोनों नामों से जाना-पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति हैं एवं भविष्य में प्रार्थी को अशोक बरमेचा के नाम से ही जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम
(अशोक कुमार जैन एवं अशोक बरमेचा)

नया नाम
(अशोक बरमेचा)

(G-2364)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, विमला लोहान पति भरत कुमार लोहान मेरा पूर्व नाम वर्षा लोहान पति भरत लोहान था. जो की म्युचल फण्ड पर दर्ज है. अब मैं अपना वास्तविक नाम विमला लोहान पति भरत कुमार लोहान दर्ज करवाना चाहती हूँ. उपरोक्त दोनों नाम विमला लोहान पति भरत कुमार लोहान व नाम वर्षा लोहान पति भरत लोहान एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं. अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम विमला लोहान पति भरत कुमार लोहान के नाम से जाना पहचाना, लिखा-पढ़ा, एवं बोला जावे.

पुराना नाम
(वर्षा लोहान)
पति-भरत लोहान.

नया नाम
(विमला लोहान)
पति-भरत कुमार लोहान.

(G-2365)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम यशबा जेहरा पिता मोहम्मद अम्मार (YASHBA ZEHRA D/o MOHAMMAD AMMAR) है. अब मैं अपने सभी दस्तावेजों पर अपनी पुत्री का वास्तविक नाम यशबा जेहरा मिर्जा पिता मोहम्मद अम्मार (YASHBA ZEHRA MIRZA S/o MOHAMMAD AMMAR) दर्ज करवाना चाहता हूँ.

उपरोक्त दोनों नाम यशबा जेहरा पिता मोहम्मद अम्मार एवं यशबा जेहरा मिर्जा पिता मोहम्मद अम्मार एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री के हैं. अतः भविष्य में सभी जगह मेरी पुत्री को उसके नये नाम यशबा जेहरा मिर्जा पिता मोहम्मद अम्मार से जाना-पहचाना, लिखा पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम
(यशबा जेहरा)
(YASHBA ZEHRA)
पिता-मोहम्मद अम्मार
D/o MOHAMMAD AMMAR

नया नाम
(यशबा जेहरा मिर्जा)
(YASHBA ZEHRA MIRZA)
पिता-मोहम्मद अम्मार
S/o MOHAMMAD AMMAR

(G-2366)

नाम परिवर्तन

मैं, शाजिया उमर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा निकाह पूर्व का नाम शाजिया कुरेशी पुत्री अब्दुल खालिक कुरेशी (SHAZIA QURESHI D/o ABDULKHALIQUE QURESHI) था. मेरा निकाह सैय्यद उमर हुसैन आत्मज मरहूम सलीम हुसैन के साथ हो गया है. निकाह के बाद मेरा परिवर्तित नाम शाजिया उमर पत्नी सैय्यद उमर हुसैन (SHAZIA UMAR W/o SYED UMAR HUSAIN) हो गया है तथा भविष्य में मुझे शाजिया उमर पत्नी सैय्यद उमर हुसैन नाम से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(शाजिया कुरेशी)

नया नाम
(शाजिया उमर)
निवासी-फ्लैट क्र. 03, तिआरा,
अपार्टमेंट, अमीरगंज, गोलघर,
शाहजहांनाबाद, भोपाल (म.प्र.).

(G-2367)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, चित्रलेखा कासलीवाल पति श्री राजेश जैन सूचित करती हूँ कि, मेरा पूर्व नाम चित्रा जैन (Chitra Jain) पति श्री राजेश जैन था. जो की मेरे म्यूचल फण्ड पर दर्ज हैं, अब मैं म्यूचल फण्ड पर अपना वास्तविक नाम चित्रलेखा कासलीवाल पति श्री राजेश जैन दर्ज करवाना चाहती हूँ. उपरोक्त दोनों नाम चित्रलेखा कासलीवाल पति श्री राजेश जैन व नाम चित्रा जैन (Chitra Jain) पति श्री राजेश जैन एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे है.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम चित्रलेखा कासलीवाल पति श्री राजेश जैन के नाम से जाना पहचाना, लिखा पढ़ा, एवं बोला जावे.

पुराना नाम
(चित्रा जैन)
(Chitra Jain)

नया नाम
(चित्रलेखा कासलीवाल)
पति—श्री राजेश जैन.

(G-2368)

नाम परिवर्तन

आम जनता सूचित किया जाता है कि मैं, बालम सिंह (BALAM SINGH), उम्र 61 वर्ष, आत्मज स्व. वचन सिंह रावत, निवासी क्वार्टर नंबर 33, ब्लॉक एफ. न्यू 36 क्वार्टर, छटवी बटालियन एस. ए. एफ रांझी, तह. व जिला जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम बालम सिंह (BALAM SINGH) दर्ज है, तथा मेरे पेनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा नाम बालम सिंह रावत (BALAM SINGH RAWAT) दर्ज है ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम बालम सिंह (BALAM SINGH) के स्थान पर बालम सिंह रावत (BALAM SINGH RAWAT) के नाम से जाना-पहचाना लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(बालम सिंह)
(BALAM SINGH)

नया नाम
(बालम सिंह रावत)
(BALAM SINGH RAWAT)

(G-2369)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में पारस एसोसिएट्स (M/S PARAS ASSOCIATES) के नाम से एक भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/0278/18, दिनांक 08-06-2018 है. इस फर्म से दिनांक 21-06-2023 से एक भागीदार (1) बलदेव मिगलानी पिता स्व. श्री रामचन्द्र मिगलानी, निवासी नई आबादी गांधी गंज के पीछे छिन्दवाडा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.), 2. रमेश मिगलानी पिता स्व. श्री रामधन मिगलानी, निवासी जनपद ऑफिस के पीछे नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाडा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.), 3. संतलाल बत्रा पिता श्री सुन्दरलाल बत्रा, निवासी नई आबादी गांधी गंज के पीछे छिन्दवाडा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे है एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 21-06-2023 से एक भागीदार (1) अभिशेक मिगलानी पिता श्री गोपाल मिगलानी, निवासी नई आबादी गांधी गंज के पीछे छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 21-06-2023 से संशोधन उपरांत पाँच साझेदार रहेगें.

पारस एसोसिएट्स,
(धर्मेन्द्र मिगलानी)
(भागीदार).

(G-2370)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s KARAN AND SONS जो TEKRI ROAD BUDE BALAJI, GUNA में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/40/01/0343/22, दि. 24-01-2022 है, जिसमें दिनांक 27-06-2023 को भागीदार श्री लाल राठौर पुत्र श्री कमल सिंह राठौर एवं अंकित राठौर पुत्र श्री लाल राठौर, निवासीगण ग्राम व पोस्ट पीरोंठ, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 27-06-2023 को करण राठौर पुत्र श्री विनोद राठौर एवं नितिन राठौर पुत्र श्री घनश्याम राठौर, निवासीगण भजन सेठ की कोठी, सिसोदिया कॉलोनी, गुना म.प्र. फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

M/s KARAN AND SONS,

(लाल राठौर)

(भागीदार)

TEKRI ROAD, BUDE BALAJI, GUNA

(G-2371)

नाम परिवर्तन

मैं, भारती पंजवानी पत्नि मोहनलाल पंजवानी मेरा विवाह पूर्व का नाम दीपा पंजवानी था. जो मेरी बीमा पॉलिसी, शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि मेरा विवाह हिन्दू रिती-रिवाज से मोहनलाल पंजवानी के साथ हो जाने से मेरा विवाह उपरांत मेरा नाम भारती पंजवानी हो गया है. जो मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पास बुक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. वर्तमान एवं भविष्य में मैं भारती पंजवानी के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाऊंगी. अतः मेरी बीमा पॉलिसी, शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम दीपा पंजवानी के स्थान पर भारती पंजवानी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(दीपा पंजवानी)

नया नाम

(भारती पंजवानी)

21, बी विशाल नगर अन्नापूर्णा रोड,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-2372)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी शर्मा पत्नि स्व. संजीव कुमार शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरी बेटी का बचपन का नाम अनन्या शर्मा और गुनगुन था. जो मेरी बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मेरी बेटी का नाम पायोशनी शर्मा है. जो उसके आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है तथा भविष्य में भी मेरी बेटी इसी नाम पायोशनी शर्मा के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाएगी. अतः मेरी बेटी के सभी शासकीय, अशासकीय प्रपत्रों में मेरी बेटी का नाम अनन्या शर्मा और गुनगुन के स्थान पर पायोशनी शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे.

सूचनाकर्ता

लक्ष्मी शर्मा,

पत्नी स्व. संजीव कुमार शर्मा,

201, मोहन नगर, थाटीपुर,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2373)

नाम परिवर्तन

मैं, ASHOK KURKANJI S/o RAGHUNATH KURKANJI, निवासी-एन. एच. 2डी, 69, एन.टी.पी.सी. कॉलोनी, विन्ध्य नगर, मध्य प्रदेश, भारत। मैं, ASHOK KURKANJI दर्ज है एवं आई.डी. में मेरा नाम ASHOK KURKANJI दर्ज है। जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम ASHOK KURKANJI दर्ज है। उसके स्थान पर मेरा नाम-ASHOK KURKANJI पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम

(ASHOK KURKANJI)

(G-2374)

नया नाम

(ASHOK KURKANJI)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम सिंह धानक (PREM SINGH DHANAK) आत्मज श्री रामप्रसाद धानक (RAMPRASAD DHANAK), निवासी-58, भेल नगर, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.) कुछ दस्तोवजों में मेरा नाम-प्रेम सिंह धानक (PREM SINGH DHANAK) एवं प्रेम सिंह तथा जिया लाल (JIYA LAL) दर्ज है तथा जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेम सिंह (PREM SINGH) तथा जिया लाल (JIYA LAL) पुत्र रामप्रसाद धानक दर्ज है। उसके स्थान पर मेरा नाम-प्रेम सिंह धानक (PREM SINGH DHANAK) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम

(प्रेम सिंह)

(PREM SINGH)

(जिया लाल)

(JIYA LAL)

(G-2375)

नया नाम

(प्रेम सिंह धानक)

(PREM SINGH DHANAK)

आत्मज-श्री रामप्रसाद धानक

(RAMPRASAD DHANAK)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दुर्गा प्रसाद अंकित है। जबकि मेरे आधारकार्ड में उपनाम सहित दुर्गा प्रसाद सैनी अंकित है। अतः मुझे दुर्गा प्रसाद सैनी के नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(दुर्गा प्रसाद)

(G-2376)

नया नाम

(दुर्गा प्रसाद सैनी)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S INDICON REALTORS जो 204, Global Apartment, Near Income Tax Office, City Center Gwalior में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/00024/13, दिनांक 03-05-2013 है। जिसमें दिनांक 09-11-2023 को फर्म का मुख्य कार्यालय 204, Global Apartment, Near Income Tax Office, City Centre, Gwalior-474003 से परिवर्तित कर नवीन मुख्य कार्यालय 3rd Floor, Kquality House, Behind S. P. Office, City Centre, Gwalior 474011 हो गया है एवं दिनांक 06-12-2023 को भागीदार दीपक सिंघल पुत्र मेघराज सिंघल, निवासी सी-907, केशरबाग रिसकोर्स रोड रेलवे स्टेशन के पास ग्वालियर (म.प्र.) एवं संजय सिंह परमार पुत्र कुंवर पाल सिंह परमार निवासी 204, ग्लोबल अपार्टमेंट नियर इनकम टैक्स, ऑफिस सिटी सेंटर ग्वालियर मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं।

M/S INDICON REALTORS

(संजय अरोरा)

(भागीदार)

204, Global Apartment, Near Income Tax Office,
City Center Gwalior.

(G-2377)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, श्री बहादुर सिंह पिता श्री नरबर सिंह, पता-वार्ड क्र. 01 ग्राम कसार खेड़ी, पोस्ट सौंठी तहसील श्यामपुर, कसार खेड़ी, सोधी सीहोर (म.प्र.) अपनी पुत्री अर्पिता दांगी (Arpita Dangi) का नाम जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अर्पिता दांगी (Arpita Dangi) है जबकि आधार कार्ड में त्रुटिवश लाडो दांगी अंकित है. इसलिए आधार कार्ड में नाम परिवर्तित कर अर्पिता दांगी (Arpita Dangi) दर्ज किया जावे.

आवेदक

बहादुर सिंह, (अभिभावक पिता)

(G-2378)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय शैक्षणिक अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम Tanishka Bhatt पिता श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट लिया गया है, जबकि मेरा सही नाम आधार कार्ड, पेनकार्ड अन्य शैक्षणिक रिकार्ड शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेख इत्यादि में मेरा नाम Tanishk Bhatt पिता श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट अंकित है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम Tanishk Bhatt पिता श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट के नाम से जाना-पहचाना, पुकारा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावें.

iq;kukule

(Tanishka Bhatt)

u;kule

(Tanishk Bhatt)

पिता-श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट,
निवासी-761, प्रताप वार्ड टिकारी,
बैतूल (म.प्र.).

(G-2379)

नाम परिवर्तन

मैं, मनीषा पांडे पति श्री आशीष पाण्डे, निवासी- 814/1, कछियाना मोहल्ला, आमनपुर, नरसिंह, वार्ड जबलपुर मेरा पुत्र अभिनव पाण्डे (ABHINAV PANDEY) का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अभि लिखा है एवं स्कूल के समस्त दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में अभिनव लिखा हुआ है मेरे पुत्र का अभिनव पाण्डे (ABHINAV PANDEY) पिता स्व. श्री आशीष पाण्डे है. यह कि मेरा पुत्र का नाम समस्त दस्तावेजों में मनीषा पाण्डे पति स्व. श्री आशीष पाण्डे लिखा हुआ है उपरोक्त दोनों नाम अभि एवं अभिनव मेरे ही पुत्र के नाम हैं तथा मेरा पुत्र अभिनव पाण्डे के नाम से जाना-पहचाना जाता है. अतः मेरे पुत्र का नाम अभिनव पाण्डे (ABHINAV PANDEY) पिता स्व. आशीष पाण्डे लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(अभि एवं अभिनव)

नया नाम

(अभिनव पाण्डे)

(ABHINAV PANDEY)

(G-2380)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s KHERIA INFRATECH having head office at Khatke Sahab Ka Bada, Dal Bazar, Lashkar, Gwalior is registered Partnership Firm with Registrar of Firms and Societies vide Registration No. 02/42/01/0009/23, dt. 15-04-2023.

That the following have been retired as partner in the Partnership Firm wef 27.06.2023:-

1. Shri Lal Singh Gurjar, 2. Shri Kiledar Singh Gurjar, 3. Shri Bhoop Singh Gurjar, 4. Shri Satendra Singh Gurjar,
5. Smt. Meera Bai Gurjar

Now the partners of the firm are:

1. Yash Kumar Goyal, 2. Kartikey Goyal.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in the composition of the partnership firm with the office of registrar of firm and society.

For-M/s KHERIA INFRATECH,
KARTIKEY GOYAL,
(Partner)

(G-2381)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम आशा जोशी पुत्री श्री भोलाराम जोशी था. विवाह पश्चात् मेरा नाम अजरा आब्दी (AZRA ABDI) पत्नी श्री निसार आब्दी हो गया है. मेरे आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक में अंकित है. अतः मुझे अजरा आब्दी (AZRA ABDI) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा जावे एवं पुकारा जावे.

भवदीय

अजरा आब्दी

(AZRA ABDI)

पति का नाम-स्व. श्री निसार आब्दी,

पता-मकान नं. आई-6, वर्धमान ग्रीनपार्क कॉलोनी,

अशोका गार्डन, हुजुर, भोपाल (म.प्र.).

(G-2382)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स गंगाधर शर्मा एण्ड सन्स पंजीयन क्रमांक 70/1989 सन् 1989-90, दिनांक 04-05-1989 पंजीकृत फर्म है. यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को श्रीमति अनीता गुप्ता पत्नि श्री सुनील गुप्ता, निवासी-सी-99, सोनागिरी, भोपाल म.प्र. इस भागीदारी फर्म से अपनी स्वेच्छा से (पृथक) बाहर हो रही हैं. आमजन सर्वजन को सूचित हो.

मेसर्स गंगाधर शर्मा एण्ड सन्स,

(रीतेश शर्मा)

(भागीदार)

पता-ई-79, गौतम नगर,

गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.).

(G-2383)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स श्री बालाजी इन्फ्राटेक पंजीयन क्रमांक 01/06/01/00442/11, दिनांक 07-01-2011 पंजीकृत फर्म है. यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 14 जुलाई, 2023 को इस भागीदारी फर्म से (1) रोहित देशपाण्डे पिता श्री बालाजी देशपाण्डे, (2) अनुरंजन सिंह चौहान पिता श्री एन. एस. चौहान, (3) अनूप सिंह

पिता श्री एन. एस. चौहान तथा (4) श्रीमति राजकुमारी चौहान पति श्री एन एस. चौहान अपनी स्वेच्छा से (पृथक) बाहर हो रहे/रही हैं और इस फर्म का पुराना पता—एफ. एन. टी-2/बी-2/433, निरुपम रायल पाम्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल से बदलकर नवीन पता— एफ. एन. टी-2/बी-1 /442 निरुपम रायल पाम्स, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल म.प्र. 462026 किया गया है. आमजन सर्वजन को सूचित हो.

मेसर्स श्री बालाजी इन्फ्राटेक,
(दीप्ति सिंह सेंगर, सुरेन्द्र सिंह गौतम)
(भागीदार).

(G-2384)

नाम परिवर्तन

मैं, योगेश कुमार सेन पिता श्रवण कुमार नाई सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश योगेश कुमार नाई के नाम से दर्ज हो गया है. जो कि गलत है मेरे समस्त शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम योगेश कुमार सेन है. इस विज्ञप्ति के उपरांत मुझे योगेश कुमार सेन के नाम से ही जाना-पहचाना लिखा पढ़ा एवं पुकारा जाये.

पुराना नाम
(योगेश कुमार नाई)

नया नाम
(योगेश कुमार सेन)
पिता—श्रवण कुमार नाई,
आर्डनेंस फैक्ट्री टाईप 1,5,36
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड नं. 36,
जिला कटनी (म.प्र.).

(G-2385)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Modern Realty having head office at 2nd Floor, Above Mishra Gas Agency, Hanuman Chauraha, Lashkar, Gwalior is registered Partnership Firm with Registrar of firms and Societies vide Registration No. 02/42/01/0072/23 dt. 17-07-2023.

On 26-05-2023, the following have been added as partner in the Partnership Firm wef 20-04-2022:-

1. Shri Sharad Goyal, 2. Shri Ankit Singhal, 3. Shri Saurabh Tiwari

And Smt. Neetu Agrawal have retired on 20-04-2022.

Now the partners of the firm are Shri Akshat Singhal, Shri Sharad Goyal, Shri Ankit Singhal, Shri Saurabh Tiwari.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in the composition of the partnership firm with the office of registrar of firm and society.

For-M/s Modern Realty,
AKSHAT SINGHAL,
(Partner)

(G-2386)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शादी से पहले का नाम महक मलगानी पुत्री श्री गोपाल मलगानी था. शादी के बाद का नाम महक पंजवानी हो गया. अब मुझे विवाह के पश्चात् नये नाम श्रीमति सिद्धी पंजवानी पत्नि श्री ऋषि पंजवानी के नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

पुराना नाम
(महक मलगानी)

नया नाम
(सिद्धी पंजवानी)
निवासी—ई-3, एच. आई. जी.—16,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).

(G-2387)

नाम परिवर्तन

मैं, हीरा सभनानी (Heera Sabhnani) पत्नी स्व. श्री भगवानदास सभनानी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम हीरा सभनानी (Heera Sabhnani) है. जो की सही है. परंतु मेरी फ़ैमिली पेंशन में मेरा घर का अन्य नाम लाजवंती बाई सभनानी (Lajwanti Bai Sabhnani) पत्नी स्व. श्री भगवानदास सभनानी चूकवश अंकित हो गया है. हीरा सभनानी और लाजवंती बाई सभनानी दोनों मेरे ही नाम हैं. इस विज्ञप्ति के बाद मुझे हीरा सभनानी पत्नी स्व. श्री भगवानदास सभनानी के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जाए.

पुराना नाम
(लालवंती बाई सभनानी)

नया नाम
(हीरा सभनानी)
(Heera Sabhnani)

पत्नी-स्व. श्री भगवानदास सभनानी,
बी-न्यू 28/306, गिदवानी पार्क के पास,
बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.).

(G-2388)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती श्रद्धा दाणी (Shraddha Dani) पत्नी श्री उदय दाणी, निवासी डी-3, 372, दानिशा नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल, म.प्र. मेरे मायके का नाम रेखा मुले (Rekha Mule) है तथा विवाह के बाद मेरे ससुराल की ओर से मेरा नाम श्रद्धा दाणी (Shraddha Dani) है तथा मेरे सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेज, आधारकार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, पासपोर्ट इत्यादि के अनुसार मेरा सही नाम श्रीमती श्रद्धा दाणी (Shraddha Dani) पत्नी श्री उदय दाणी है. प्रकाशन उपरांत मुझे अपने संशोधित नाम श्रीमती श्रद्धा दाणी (Shraddha Dani) पत्नी श्री उदय दाणी के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए और भविष्य में भी मैं, इसी नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम
(रेखा मुले)
(Rekha Mule)

नया नाम
(श्रद्धा दाणी)
(Shraddha Dani)
पत्नी-श्री उदय दाणी.

(G-2389)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती चंदा देशपाण्डे (Chanda Deshpande) पत्नी स्व. श्री सुधाकर देशपाण्डे, निवासी 6/1, झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स, नॉर्थ टी.टी.नगर, भोपाल. मेरे विवाह के बाद ससुराल की ओर से मेरा नाम नीता देशपाण्डे (Neeta Deshpande) रखा गया था. किंतु मेरे सभी दस्तावेज/आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पास इत्यादि चंदा देशपाण्डे (Chanda Deshpande) के नाम से हैं. वर्तमान में मैं, इसी के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. मेरा यही नाम प्रचलन में है. तथा उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती चंदा देशपाण्डे (Chanda Deshpande) पत्नी स्व. श्री सुधाकर देशपाण्डे के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए और भविष्य में भी मैं, इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम
(नीता देशपाण्डे)
(Neeta Deshpande)

नया नाम
(चंदा देशपाण्डे)
(Chanda Deshpande)
पत्नी-स्व. श्री सुधाकर देशपाण्डे.

(G-2390)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आशुतोष जोशी (ASHUTOSH JOSHI) पिता M.G. JOSHI निवासी EM-332, BLOCK-04, BEHIND SHABRI NAGAR, NEHRU NAGAR, HUZUR, BHOPAL M.P. मैं अपना नाम परिवर्तित कर राजू जोशी (RAJU JOSHI) पिता M. G. JOSHI कर रहा हूँ. इसलिए मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राजू जोशी (RAJU JOSHI) पिता M. G. JOSHI किया जावे व भविष्य में मेरे नया नाम राजू जोशी (RAJU JOSHI) पिता M. G. JOSHI के नाम से जाना व पहचाना लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(आशुतोष जोशी)
(ASHUTOSH JOSHI)
(G-2391)

नया नाम
(राजू जोशी)
(RAJU JOSHI)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री प्रार्थना तिवारी आत्मजा उमेश कुमारी तिवारी, निवासी 21/301, गौरव नगर, वैरागढ़ चिचली, कोलार रोड, भोपाल जो पूर्व नाम प्रज्ञा तिवारी आत्मजा उमेश कुमार तिवारी जो की त्रुटि पूर्ण है, जबकि प्रार्थना तिवारी और प्रज्ञा तिवारी एक ही बच्चे के नाम हैं. मेरी पुत्री का सही नाम प्रार्थना तिवारी आत्मजा उमेश कुमार तिवारी है. अतः मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रार्थना तिवारी आत्मजा उमेश कुमारी तिवारी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

(G-2392)

भवदीय
प्रार्थना तिवारी,
पिता-उमेश कुमार तिवारी.

नाम परिवर्तन

रिया राठौर पुत्री राम भरोस राठौर आयु वयस्क, निवासी ग्राम रत्नाखेड़ी, पोस्ट बिलकिसगंज, तहसील सीहोर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश का पूर्व का नाम रिया राठौर था. रानी राठौर एवं रिया राठौर दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही हैं. अब भविष्य में मुझे रिया राठौर पुत्री श्री राम भरोस राठौर के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम
(रानी राठौर)
(G-2393)

नया नाम
(रिया राठौर)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय वाघ मेरे द्वारा विधि अनुसार दत्तक लेने के अंगत भोजराज पुत्र मोहन गांजरे संरक्षक विजय वाघ के नाम से जाना-पहचाना जावे.

(G-2394)

भवदीय
विजय वाघ,
दत्तक पिता.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 08 नवम्बर, 2023

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

क्र. 393/रीडर/2023.—आवेदक गरीब नवाज एजुकेशन एण्ड वेलफेयर, पता—केयर ऑफ श्रीमती शमीम बानो पति श्री शमसुद्दीन, निवासी रेवाबाग, देवास (म.प्र.) द्वारा इस न्यायालय में "गरीब नवाज एजुकेशन एण्ड वेलफेयर" केयर ऑफ श्रीमती शमीम बानो पति श्री शमसुद्दीन, निवासी रेवाबाग, देवास (म.प्र.) के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन—पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा—पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है.

अतः आवेदक गरीब नवाज एजुकेशन एण्ड वेलफेयर, पता केयर ऑफ श्रीमती शमीम बानो पति श्री शमसुद्दीन, निवासी रेवाबाग, देवास के ट्रस्ट पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 08—12—2023 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 8 नवम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

(G-2395)

देवास, दिनांक 17 अगस्त, 2023

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

क्र. 335/रीडर/2023.—आवेदक अध्यक्ष मदरसा—ए—गनी चेरीटेबल ट्रस्ट, 133, विशालनगर, इटावा, देवास (म.प्र.) द्वारा इस न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर मदरसा—ए—गनी चेरीटेबल ट्रस्ट, 133, विशालनगर, इटावा, देवास (म.प्र.) के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन—पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है.

अतः मदरसा—ए—गनी चेरीटेबल ट्रस्ट, 133, विशालनगर, इटावा, देवास (म.प्र.) के द्वारा पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 18—09—2023 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 17 अगस्त, 2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

(G-2396)

बिहारी सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, तहसील पंधाना

प्र.क्र.521/बी-113/2023-24

“प्रारूप—चार”

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 एवं

मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5(1) के अंतर्गत]

जैसा कि, आवेदक जितेन्द्र पिता मोतीलाल जैन, कार्यकारी न्यासी श्री दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट पंधाना, जिला खंडवा द्वारा म.प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिये आवेदन सह प्रारूप (न्यास का प्रारूप) प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 25—10—2023 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	श्री दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट पंधाना, जिला खंडवा तहसील पंधाना.
चल सम्पत्ति	:	1. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जमा 10,17,000/-रु. 2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जमा 3,33,700/-रु.
अचल सम्पत्ति	:	1. ग्राम पंधाना स्थिति भूमि खसरा नं. 397, 398, 399, 83/2, रकबा क्रमशः 096 हे. 2.8940 हे., 1.493.0 हे., 0.410 हे. श्री दिगंबर जैन, मंदिर सर्वाकर के नाम से दर्ज है. 2. श्री 1008 पद्मप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर गंगराडे धर्मशाला के पास जैन मोहल्ला पंधाना, जिला खण्डवा (म.प्र.). 3. श्री दिगम्बर जैन मंदिर (ग्राउंड फ्लोर छोड़कर) गांधी चौक पंधाना, जिला खण्डवा. 4. संत निवास श्री 1008 पद्मप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर के पास पंधाना.

दिनांक 10-10-2023 को जारी.

(G-2397)

कुमार शानु देवडिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड जावरा, जिला रतलाम

प्र.क्र./0007/ब-113/2023-24

जावक क्रमांक/5213/रीडर-3/2023

जावरा, दिनांक 13 नवम्बर, 2023

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) के तहत के अंतर्गत]

आवेदक श्री भोपालसिंह पिता नागुसिंह राठौर जाति राजपूत, आदि-27, निवासीगण पिपलौदा, जिला रतलाम द्वारा के श्री राजपूत उत्थान ट्रस्ट, पिपलौदा, जिला रतलाम पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम धारा 4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने से लिए आवेदन किया गया है, एतदद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर प्रकरण में सुनवाई दिनांक 14-12-2023 को न्यायालय उपखण्ड कार्यालय जावरा, जिला रतलाम पर दोपहर 3.00 बजे की जावेगी।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पुरा नाम व पता : श्री राजपूत उत्थान ट्रस्ट, पिपलौदा, जिला रतलाम, निवासीगण पिपलौदा, जिला रतलाम.
2. चल सम्पत्ति का विवरण : कुल 3,84,963/-
3. अचल सम्पत्ति का विवरण : सर्वे नं. 1512/2 रकबा 1.00 हे.

आज दिनांक 13 नवम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(G-2398)

प्र.क्र./0008/ब-113/2023-24

जावक क्रमांक/5215/रीडर-3/2023

जावरा, दिनांक 13 नवम्बर 2023

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) के तहत के अंतर्गत]

आवेदक श्री महंत सुधाकरपुरी, पिता ओमकारनाथ चुतर्वेदी, निवासी पंचमुखी हनुमानधाम, ग्राम-वीरपुर, तहसील जावरा द्वारा के पंचमुखी आश्रम योग गुरुकुल आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम धारा 4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने से लिए आवेदन किया गया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर प्रकरण में सुनवाई दिनांक 14-12-2023 को न्यायालय उपखण्ड कार्यालय जावरा, जिला रतलाम पर दोपहर 3.00 बजे की जावेगी.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम व पता : पंचमुखी आश्रम योग गुरुकुल आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र निवासी पंचमुखी हनुमानधाम ग्राम वीरपुरा, तहसील जावरा.
2. चल सम्पत्ति का विवरण : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति का विवरण : निरंक.

आज दिनांक 13 नवम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(G-2399)

प्र.क्र./0002/ब-113/2023-24

जावक क्रमांक/5217/रीडर-3/2023

जावरा, दिनांक 13 नवम्बर 2023

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) के तहत के अंतर्गत]

आवेदक श्री श्री महेन्द्र कुमार गौखरू पिता माणकलाल जाति जैन, निवासी-75, खारीवाल कॉलोनी, जावरा, जिला रतलाम द्वारा के अनादि राम परमार्थिक न्यास, 89, खारीवाल कॉलोनी, जावरा, जिला रतलाम पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम धारा 4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप

में पंजीकृत किये जाने से लिए आवेदन किया गया है, एतद्वारा सूचनापत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर प्रकरण में सुनवाई दिनांक 14-12-2023 को न्यायालय उपखण्ड कार्यालय जावरा, जिला रतलाम पर दोपहर 3.00 बजे की जावेगी।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पुरा नाम व पता : अनादि राम परमार्थिक न्यास, 89, खारीवाल कॉलोनी, जावरा, जिला रतलाम, निवासी 75, खारीवाल कॉलोनी, जावरा, जिला रतलाम.
2. चल सम्पत्ति का विवरण : निरंक.
3. अचल सम्पत्ति का विवरण : निरंक.

आज दिनांक 13 नवम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(G-2400)

अनिल भाना, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

प्र.क्र...../बी-113/2023-24

[नियम पांच-1 देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत]

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की लोक न्यास के पंजीयन बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर के समक्ष श्री विट्ठल रुखमाई मंदिर ट्रस्ट लोधीपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र. द्वारा अध्यक्ष श्री रामू किशन महाजन, निवासी वार्ड नंबर 07, लोधीपुरा बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर के द्वारा श्री विट्ठल रुखमाई मंदिर ट्रस्ट लोधीपुरा का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए "लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है की कथित आवेदन पत्र दिनांक 30-07-2023, 30-10-2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. श्री विट्ठल रुखमाई मंदिर ट्रस्ट लोधीपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर.
2. वर्किंग ट्रस्टी अध्यक्ष : श्री रामू किशन महाजन, निवासी वार्ड नंबर 07, लोधीपुरा, बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर.
3. चल सम्पत्ति : 1,00,000 / -रुपये.
4. अचल सम्पत्ति : लोधीपुरा आबादी भूमि में 6025 वर्गफीट पर स्थित होकर जिसका डिमांड नंबर 102 पर दर्ज है. इसके अतिरिक्त ग्राम बोरगांव खुर्द में कृषि भूमि खसरा नंबर 52, रकबा 1.4800 हैक्टर स्थित है.

जारी दिनांक-....-07-2023

(G-2401)

प्र.क्र...../बी-113/2023-24

[नियम पांच-1 देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत]

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयन बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक/अध्यक्ष शेख अली मुत्तकी ट्रस्टी मुफती हाउस फारूकी मस्जिद के पास दाउदपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा एक आवेदन पर अंतर्गत धारा 4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत पेश कर शेख अली मुत्तकी ट्रस्टी मुफती हाउस फारूकी मस्जिद के पास दाउदपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर 450331 का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है की कथित आवेदन पत्र दिनांक 05-12-2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और उपरोक्त अवधि में मेरे समक्ष या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. नाम शेख अली मुत्तकी ट्रस्ट मुफती हाउस फारूकी मस्जिद के पास दाउदपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री मुफती रहमतउल्ला पिता मिया साहब, निवासी मकान नंबर 113, फारूकी मस्जिद के पास दाउदपुरा, बुरहानपुर मध्यप्रदेश.
2. चल सम्पत्ति : 1,75,000 /-(एक लाख पचहत्तर हजार रुपये).
3. अचल सम्पत्ति :

जारी दिनांक-05-12-2023

(G-2402)

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

क्र./परि./2023/क्यू.

शाजापुर, दिनांक 21 सितम्बर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	दीनदयाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालापीपल.	954 / 03-08-2007	1638 / 14-08-2023
2.	सुदर्शन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अरन्याकलॉ.	1062 / 02-05-2012	1637 / 14-08-2023

1.	2.	3.	4.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अदलीमखेडी	991 / 13-02-2009	1655 / 14-08-2023
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पगरावदकलॉ	664 / 22-02-1995	1654 / 14-08-2023
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भदौनी	991 / 13-02-2009	1653 / 14-08-2023
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परसुला	1095 / 25-06-2014	1652 / 14-08-2023
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामडी	1031 / 31-08-2010	1651 / 14-08-2023
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूलकी	418 / 16-05-1988	1650 / 14-08-2023

अतः मैं, गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-2403)

क्र./परि./2023/क्यू.

शाजापुर, दिनांक 6 जुलाई 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कबुलपुर.	1337 / 06-07-2018	1398 / 26-06-2023
2.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., डोकरगाँव.	1336 / 06-07-2018	1399 / 26-06-2023
3.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बड़ोनी.	1335 / 06-07-2018	1400 / 26-06-2023
4.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., धतुरिया.	1334 / 06-07-2018	1401 / 23-06-2023

अतः मैं, गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-2404)

गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

क्र./परि./2023/क्यू.1

शाजापुर, दिनांक 24 नवम्बर, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ीनगर	144 / 25-01-1980	673 / 24-04-2018
2.	विश्व मंगल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुनेरा	956 / 03-08-2007	673 / 24-04-2018
3.	किसान मित्र बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आलाउमरोद.	1203 / 29-05-2015	673 / 24-04-2018
4.	मंशा एग्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलोदा	29 / 10-09-2002	44 / 21-01-2021
5.	सरदार पटेल मेडिकल सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर	1067 / 20-06-2012	134 / 04-02-2016
6.	उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिलावद मैना.	1145 / 08-12-2014	569 / 04-06-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोविंदा	1111 / 01-11-2014	3661 / 05-12-2022
8.	एकता संकुल प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मो. बडोदिया.	1343 / 27-07-2018	1406 / 26-06-2023
9.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कंडूला.	120968 / 25-08-2022	1407 / 26-06-2023
10.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मण्डोदा.	120998 / 25-08-2022	1408 / 26-06-2023
11.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मोहना.	121090 / 25-08-2022	1409 / 26-06-2023

1.	2.	3.	4.
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पारदाखेड़ी	707 / 31-03-1999	1673 / 14-08-2023
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरसिंगी	309 / 21-12-1984	1684 / 14-08-2023
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांगली	1382 / 26-08-2020	1674 / 14-08-2023
15.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलोदा (शु.)	1157 / 11-12-2014	1675 / 14-08-2023
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गांगलाखेड़ी	1360 / 08-07-2019	1676 / 14-08-2023
17.	मौ शक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचावदा	1198 / 09-03-2015	1738 / 14-08-2023
18.	फतेह बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दिल्लीद	1114 / 03-11-2014	1739 / 14-08-2023
19.	केशव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उचोद	1122 / 11-11-2014	1740 / 14-08-2023

अतः मैं, मनोज श्रीवास्तव, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.
(G-2405) **मनोज श्रीवास्तव, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.**

क्र./परि./2023/क्यू.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक / दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक / दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पचोर.	1340 / 27-08-2018	356 / 27-02-2023
2.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., हिरपुरटेका.	1346 / 03-12-2018	355 / 27-02-2023
3.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बर्डियासोन	1347 / 03-12-2018	354 / 27-02-2023
4.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., रोलियाखेड़ी.	1348 / 05-12-2018	353 / 27-02-2023
5.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बेसरापुरा.	1349 / 03-12-2018	352 / 27-02-2023

अतः मैं, राजेन्द्र कुमार राय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-2406)

राजेन्द्र कुमार राय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

क्र./परि./2023/क्यू.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरियादया	1112/01-11-2014	674/30-06-2020
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालाखेडी	486/16-05-1988	674/30-06-2020
3.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., टुकराना.	1311/05-07-2018	942/22-07-2020
4.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., भाटखेडी.	1320/11-07-2018	942/22-07-2020
5.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मेवासा.	1289/30-06-2018	942/22-07-2020
6.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., नारायणगढ़.	1290/30-06-2018	942/22-07-2020
7.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पीरखेडी.	1327/06-07-2018	942/22-07-2020
8.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., रिगनीखेडा.	1273/26-06-2018	942/22-07-2020
9.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बाईहेडा.	1301/30-06-2018	942/22-07-2020

1.	2.	3.	4.
10.	प्रगति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिटवास	1141 / 06-12-2014	55 / 21-01-2021
11.	मॉ भवगती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोलाई	1134 / 24-11-2016	1240 / 01-02-2016
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियापातला	555 / 07-07-1990	912 / 12-08-2014
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठरी नं. 2	1097 / 10-09-2014	35 / 21-01-2021
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खाटसूर	307 / 31-10-1984	2205 / 31-10-2007
15.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नितरडी	1133 / 22-11-2014	50 / 21-01-2021
16.	कृषि भूमिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जेटडा	1097 / 10-09-2014	35 / 21-01-2021
17.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोदिया	233 / 19-09-1983	975 / 29-09-2016
18.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., आलाउमरोद.	1277 / 29-06-2018	1384 / 26-06-2023
19.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., शादीपुरा	1345 / 13-09-2018	1381 / 26-06-2023
20.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., जलोदा.	1285 / 30-06-2018	1382 / 26-06-2023
21.	प्राथमिक आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कमरदीपुरा.	1278 / 29-06-2018	1383 / 26-06-2023

अतः मैं, बी. एस. भंवर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-2407)

बी. एस. भंवर, परिसमापक एवं वरि. सहकारी निरीक्षक.

क्र./परि./2023/क्यू

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक / दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक / दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मो. बडोदिया	105 / 26-08-1976	825 / 30-07-2012
2.	मीराताड गुड सहकारी संस्था मर्या., चौमा	870 / 04-08-1983	2421 / 02-03-2013
3.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., बज्जाहेडा	88 / 29-05-1964	113 / 07-01-2012
4.	गुड खाडसारी सहकारी संस्था मर्या., पोलायकलौ	01 / 13-08-1959	4234 / 01-08-1984
5.	शाजापुर सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर.	219 / 20-04-1993	3660 / 05-12-2022
6.	प्राथ. महिला आजीविका बहु. सह. संस्था मर्या., डंगीचा.	1264 / 27-06-2018	1373 / 26-06-2023
7.	प्राथ. महिला आजीविका बहु. सह. संस्था मर्या., टिगरिया.	1263 / 27-06-2018	1374 / 26-06-2023
8.	प्राथ. महिला आजीविका बहु. सह. संस्था मर्या., पतोली.	1313 / 05-07-2018	1376 / 26-06-2023
9.	प्राथ. महिला आजीविका बहु. सह. संस्था मर्या., कुकडी.	1258 / 25-06-2018	1375 / 26-06-2023

अतः मैं, मनोज पुरोहित, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-2308)

क्र./परि./2023/क्यू.

शाजापुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक / दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक / दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	सत्यम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलोदा	11 / 17-02-2011	2005 / 20-09-2023

अतः मैं, मनोज पुरोहित, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-2409)

मनोज पुरोहित, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

क्र./परि./2023/क्यू.

शाजापुर, दिनांक 06 जुलाई, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., घुंसी.	1316/05-07-2018	1389/26-06-2023
2.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कालूखेडी.	1294/30-06-2018	1390/26-06-2023
3.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गावडी.	1315/05-07-2018	1391/26-06-2023
4.	मिलन संकुल आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर.	1342/27-08-2018	1392/26-06-2023

अतः मैं, अनुज चौकसे, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-2410)

क्र./परि./2023/क्यू

शाजापुर, दिनांक 25 जुलाई, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	मौं उमिया साख सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	946 / 30-06-2006	1480 / 12-07-2023
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्हारियापाल	1149 / 11-12-2014	1485 / 12-07-2023
3.	अंबिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सखेडी	1124 / 11-11-2014	1484 / 12-07-2023

अतः मैं, अनुज चौकसे, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-2411)

क्र./परि./2023/क्यू

शाजापुर, दिनांक 21 सितम्बर, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं. को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	नाम संस्था	पंजी. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मांदलाखेडी	521 / 26-10-1989	1646 / 14-08-2023
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साल्या	1217 / 13-07-2015	1645 / 14-08-2023
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया	751 / 23-12-2000	1644 / 14-08-2023
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भरदी	137 / 22-09-1976	1643 / 14-08-2023
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुणपीपली	949 / 20-11-2006	1642 / 14-08-2023
6.	महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., चकदुधाना.	1326 / 06-07-2018	1641 / 14-08-2023

अतः मैं, अनुज चौकसे, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत, यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु, अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि. उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-2412)

अनुज चौकसे, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 24, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)